

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/457

दिनांक - 15/03/19

प्रार्थीगण
1 पूरखाराम 2 पोकरराम 3
भोटाराम 4 पूराराम पिसरान
डूंगराराम 5 भूसाराम 6 भंवराराम
7 गेम्बराराम पिसरान पाबूसाराम 8
नैनूदेवी पत्नी पाबूसाराम जाति
सुथार निवासी ढाढीसर
बेरीवाला तला तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 सुखराम पुत्र मानाराम 2 धर्गाराम पुत्र डूंगराराम 3
उत्तमाराम पुत्र जेताराम 4 सोनाराम पुत्र मूलाराम जाति
जाट निवासी गंगाराम बेरीवाला तला सरली 5
उम्मेदसिंह 6 किशनसिंह पिसरान वामसिंह 7 लखसिंह
पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत 8 जगूसाराम पुत्र निम्नाराम 9
जोगाराम पुत्र देदाराम 10 दोलाराम पुत्र जेताराम 11
इन्दाराम 12 मोगाराम पिसरान सालूसाराम जाति जाट
निवासी बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 934/2018

दिनांक- 14.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ढाढीसर पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1340 रकबा 122.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 15/03/19

क्रमांक :- रीडर/2019/458-61

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पूरखाराम पुत्र डूंगराराम वगैराह जाति सुथार निवासी ढाढीसर बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सुखराम पुत्र मानाराम वगैराह निवासी गंगाराम बेरीवाला तला सरली तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर